

अदालत

राजबहादुर सिटि

मुकाम

बनाम

लगारीस सिटि आदि

मुकदमा विविध धारा 235 RTA नं.

13

सन 2020

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए

24.08.2020

यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत है। प्रार्थना-पत्र पर कार्यालय रिपोर्ट हो चुकी है। प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तनब किया जावे। पत्रावली दिनांक 10.09.2020 को पेश हो।

नोटिस जारी
454-67

22-09-2020

लगारीस सिटि

10.9.2020

पत्रावली पेश हुई। जज श्रीमान्
व (G.A उप-1) श्रीमान् ए. 2 व 6 नंबर उप-
जज व इस आदेश का ज.पत्र पेश किया
कि न्यायालय लद्दाक कलेक्टर, गौहर
में विचारार्थ उ.सं 408/2019 का डि.
07.09.2020 का निर्णय पारित कर जायिक
डि.की किया गया है। उक्त निर्णय सी.पत्र-
लिफि संख्या ज.पत्र पेश कर ज.पत्र धारा
235 RTA अधिनियम दिये होने से स्वारिज
करने का निर्णय किया है। जज श्रीमान्
द्वारा भी न्याया. लद्दाक कलेक्टर, गौहर
में विचारित बाद का निर्णय होना स्वीकार
किया है। राजकीय श्रीमान् द्वारा लद्दाक
में निर्णय होने के कारण ज.पत्र 235 RTA
का अधिनियम हीन बनाया गया।

इसारे विचार में न्यायालय लद्दाक

अ.म.स.न.अ.न.
जज श्रीमान्
Shankar Mishra
the under question
person,
Attorney
Jaisi

(G.A.)

कमरकर कोटर में विचारार्थीन बाद
स. 408/2019 अकबानी जगसीर सिंह
बौरा बन्नाम हसीर सिंह प/स 88-53RTA
का निर्णय 7.9.2020 होने के उक्त
जा. पञ 235 RTA कारहीन, अंशिल्ल.
हीन ही पुका है। अतः मूल जा. पञ
235 RTA बतकान लेख पर ही खारिज
किया जाता है, उक्त निर्णय के अन्तर्गत
लक्ष्मण कमरकर, कोटर का सूचित
किया जावे। पगबली फैलला शुमार
होकर कारिबल दफ्तर की जावे।

आदेश पुनाया गया !

जिला कलक्टर
इनुमानगढ़